

दिया) अनावेदन कि उ अपशुदा भूमि का आवेदन दोनो
 रूप विधि से ही हो जाता है। अनावेदन रिकार्ड
 आवेदन का उत्तर होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला
 अनावेदन के पक्ष में बनता है तथा दुनिया का
 जहाज भी अनावेदन के पक्ष में बनता है। अनावेदन
 पक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा के अनावेदन को पाबंद
 किए जाने पर अप्रतिपत्ति भी अनावेदन को दोष
 पित्त की पूर्ति सम्भव नहीं है। एक रिकार्ड आवेदन
 का उत्तर के बिना अस्थायी निषेधाज्ञा दिया जाना
 उचित उचित नहीं होता है। अनावेदन द्वारा प्रस्तुत
 अपील पक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा सारहीन होने के
 कारण अस्थायी निषेधाज्ञा उचित उचित होता है।

आदेश

अनावेदन द्वारा प्रस्तुत अपील पक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा
 सारहीन नहीं होने तथा सारहीन होने के कारण निषेधाज्ञा
 जाता है।

2/1/22
 उपखण्ड अधिकारी
 कार्यवाही (वि. सु. नं.)

